UPAD010055202026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज।
प्रकीर्ण फौजदारी (अन्तरण) वाद संख्या– 627/2026
अभिषेक चन्द्र बनाम सरकार

दिनांक/18.07.2026

प्रस्तुत प्रकीर्ण फौजदारी (अन्तरण) वाद पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है और पत्रावली का अवलोकन किया जा चुका है।

2. प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र 3क मय शपथ पत्र 5ख प्रार्थी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि एस0टी0 नं0 546 सन् 2016, सरकार बनाम रजनीश हेला, अ0 सं0 474/2015, धारा 302, 323, 386, 504, 506 भा0द0सं0, थाना धूमनगंज, प्रयागराज, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–2, प्रयागराज के न्यायालय में साक्ष्य में चल रहा है। इसी अपराध संख्या 474/2015 की दूसरी एस0टी0, जिसका नं0 286 सन् 2022 है, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–21, प्रयागराज में विचाराधीन है। उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं। अतः उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण को किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), कोर्ट संख्या–02, प्रयागराज की आख्यानुसार अन्तरण प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 546/2016, राज्य प्रति रजनीश हेला, मुकदमा अपराध संख्या 474/2015, धारा 302, 323, 386, 504, 506 भा0द0सं0 की पत्रावली उक्त न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है।

4. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–21, प्रयागराज की आख्यानुसार अन्तरण प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 286/2022, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गदऊ, मु0 अ0 सं0 474/2015, अन्तर्गत धारा 302, 307, 323, 504, 506, 386 भा0द0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनिमय व धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज की पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि दोनों प्रकरण एक ही मुकदमा अपराध संख्या 474/2015, थाना धूमनगंज से उद्भूत हैं, इसलिए दोनों का निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1. प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किया जाता है।

2. अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–21, प्रयागराज के न्यायालय में विचाराधीन सत्र परीक्षण संख्या 286/2022, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गदऊ, मु0 अ0 सं0 474/2015, अन्तर्गत धारा 302, 307, 323, 504, 506, 386 भा0द0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनिमय व धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना धूमनगंज, जनपद प्रयागराज की पत्रावली उक्त न्यायालय से वापस लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), कोर्ट संख्या–02, प्रयागराज के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती है।

3. आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को प्रेषित की जाये।

4. प्रकीर्ण फौजदारी (अन्तरण) वाद तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

(सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
प्रयागराज।
JO Code-UP5687

दिनांक / 18.07.2026

आरके